BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

IN

Original Application No. 1267 of 2024

Kuldeep Dhama — Applicant

Versus

State of U.P. and ors.. — Respondents

INDEX

S.No.	Particulars	Pages
1.	Reply on behalf of the Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh	

Filed by

[MUKESH VERMA]
Advocate for the Director, Mining and Geology, No. 50, Old Block Supreme Court of India,
New Delhi 110 001
(M) 9810108098
E-mail: mvermadv@gmail.com

New Delhi
Dated: 11.07.2025

<u>मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 नं0–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 25.03.2025 के अनुपालन में प्रतिवादी सं0–02 की ओर से प्रतिउत्तर :–</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैः–

"1. Report of the Joint Committee has been filed by Central Pollution Control Board (CPCB) vide letter dated 23.12.2024.
2. In view of the averments made in the application and observations made in the report of the Joint Committee, we consider it necessary to have responses of (1) State of Uttar Pradesh through Additional Chief Secretary, Environment, Forest and Climate Change, State of Uttar Pradesh (2) Director, Mining and Geology, Uttar Pradesh, (3) District Magistrate, Baghpat, (4) CPCB through Member Secretary, (5) Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) through Member Secretary, (6) M/s Smart Mart Stores Private Ltd. (Project Proponent), A-1/1, Hardev Puri, 100 FT, Road, Nathu Colony Chowk, Shahdara, New Delhi-110032 who stand impleaded as respondents no. 1 to 6.
3. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application.
4. Respondent no. 4-CPCB and respondent no. 5-UPPCB are already represented before this Tribunal.
5. The Registry is directed to issue notices to respondents no. 1 to 3 and 6.
6. Notice be served on respondent no. 6-M/s Smart Mart Stores Private Ltd. through the District Magistrate, Baghpat and for this purpose notice issued to respondent no. 6-M/s Smart Mart Stores Private Ltd. be sent to the District Magistrate, Baghpat by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.
7. Replies/responses be filed by all respondents at least three days before the date of hearing fixed.
8. List on 03.03.2025 for further consideration.
9. A copy of this order be sent to the District Magistrate, Baghpat by email for requisite compliance."

2. प्रकरण में संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 21.12.2024 का अवलोकन किया गया। संयुक्त समिति की आख्या में उल्लेख किया गया है कि मे0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0 के पक्ष में जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा स्थित ग्राम साकरौद के गाटा सं0–620, 634 क्षेत्रफल 07.00 हे0 में मात्रा 140000 घनमीटर बालू का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 20.12.2023 से छः माह तक की अवधि हेतु स्वीकृत किया गया। जॉच के समय खनन होता नही पाया गया एवं जनपदीय जॉच दिनांक 05.04.2024 व दिनांक 23.04.2024 का वर्णन है।

3. जनपद बागपत की तहसील खेकड़ा स्थित ग्राम साकरौद खादर के गाटा सं0–620, 634 क्षेत्रफल 07.00 हे0 में बालू/मौरम का खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 20.12.2023 से 19.06.2024 तक मे0 स्मार्टमार्ट स्टोर्स प्रा0 लि0 के पक्ष में स्वीकृत किया गया।

4. जिलाधिकारी, बागपत की आख्या दिनांक 02.06.2025 के अनुसार "खान निरीक्षक, बागपत की आख्या दिनांक 05.04.2024 के क्रम में प्रश्नगत क्षेत्र में 364 घनमीटर बालू का खनन कर बिना परिवहन प्रपत्र ई–एम0एम0–11 के परिवहन किये जाने के कारण नोटिस दिनांक 08.04.2024 निर्गत कर नियमानुसार धनराशि जमा करायी गयी। पुनः प्रश्नगत क्षेत्र की जॉच क्षेत्रीय लेखपाल एवं खान निरीक्षक, बागपत द्वारा दिनांक 23.04.2024 को की गयी, जिसमें स्वीकृत क्षेत्र से बाहर 357 घनमीटर बालू का अवैध खनन व परिवहन किये जाने के कारण नोटिस दिनांक 01.05.2024 निर्गत कर नियमानुसार धनराशि जमा करायी गयी। प्रश्नगत क्षेत्र की जॉच दिनांक 02.05.2024 व दिनांक 20.06.2024 में कोई भी अवैध खनन क्षेत्र के बाहर नहीं पाया गया। प्रश्नगत क्षेत्र के अनुज्ञा की अवधि दिनांक 19.06.2024 को समाप्त हो चुकी है। उपरोक्तानुसार प्रकरण में खनन विभाग से संबंधित समस्त कार्यवाही पूर्ण है।"

इस प्रकार प्रकरण में इस स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ओ0ए0 संख्या–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 23.01.2025 की ससमय जानकारी न होने व संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 21.12.2024 प्राप्त करने में समय लगने के कारण सुनवाई की तिथि दिनांक 13.05.2025 में Reply/Response दाखिल नही किया जा सका था। अतः अनुरोध है कि ओ0ए0 संख्या–1267/2024 कुलदीप धामा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.05.2025 द्वारा अधिरोपित Cost को निक्षेपित करने का कष्ट करें।

(अंकित कुमार सिंह)
कनिष्ठ सहायक

(राजेश कुमार)
खान अधिकारी

(रंजीत निर्मल)
ज्येष्ठ खान अधिकारी

(माला श्रीवास्तव)
निदेशक